न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 39/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/47)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरसिमरन सिंह पुत्र निशान सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. निशान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरदीप कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. कुन्दन सिंह पुत्र कृपा सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरजीत सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरप्रताप सिंह पुत्र शेरगंज सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. जसवीर कौर पुत्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. परमजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. बलजिन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. बलजीत सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. बलदेव कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. बलदेव सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 11. बलवीर कौर पत्नी तलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. विक्रमजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 13. रणजीत सिंह पुत्र शेरगंज सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 14. राजवीर कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 15. सुखदेव सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 16. सुखविन्द्र सिंह पुत्र तलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 17. सतनाम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 18. सरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 19. सरदूल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 20. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमरकौर जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 21. सिमरतपाल कौर पत्नी हरभूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 22. हरभूपेन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 23. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

तारीख रजू 03.03.2025

---निर्णय---

दिनांकः 30.10.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 38 एफ, पटवार हल्का धरगावाली, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 37, 38, 45 की कुल 31.500 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी संख्या 1 के नाम 3.563 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 के नाम 2.384 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 के नाम 0.506 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण को चक 38 एफ के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 6 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 10 सालम, किला नम्बर 11 की 0. 132 हैक्टेयर, कुल 6.457 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण उक्त भूमि पर काफी वर्षो से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 2 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 38 एफ, पटवार हल्का धरगावाली, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 37, 38, 45 की कुल 31.500 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 38 एफ, पटवार हल्का धरगावाली, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 37, 38, 45 की कुल 31.500 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरसिमरन सिंह, निशान सिंह, हरदीप कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।
4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 38 एफ, पटवार हल्का धरगावाली, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 37, 38, 45 की कुल 31.500 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गुरसिमरन सिंह पुत्र निशान सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (3.563 हैक्टेयर) निशान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.384 हैक्टेयर) हरदीप कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	38 एफ	37 45	1 ता 4 6 ता 25 10 11	1.012 हैक्टेयर 5.060 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.132 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	8.20 41.00 2.05 1.07

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील बाकी दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)